तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु0न0 1473/2023 उनवानी श्रीमती मीना देवी बनाम अहमदअली वगै0 **<u>दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2026		

पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित । वकील वादी ने तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2025/2222 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । वकील प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजाः—

<u>निर्णय</u>

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है। विवादित भूमि वाके ग्राम बाडलवास पटवार हलका उदावास तहसील झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 3.64 है0,, भूमि के पक्षकारान को तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2025/2222 दिनांक 06.11.2025 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)